UPEW010018102018

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01632**

Rent Control Revision 2/2018

RAVI SHANKAR TONDON Vs. ASHUTOSH NARAYAN SINGH

27.11.2025

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व में निगरानीकर्ता व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 42 ग व आपत्ति 43 ग पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र 42 ग निगरानीकर्ता की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 34 ग प्रस्तुत किया गया है जिसका निस्तारण की तिथि नियत हुई परन्तु सुनवाई के समय जानकारी हुई कि टाइप की त्रुटि व भूल के कारण प्रार्थना पत्र में सही दिनांक 17.09.2022 के स्थान पर गलत तिथि 01.11.2022 तहरीर हो गयी है झौर इसका सुधार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कोई कमी न रह सके तथा न्यायहित में प्रार्थना पत्र 34 ग में अंकित गलत तिथि का सुधार किया जाकर संशोधन करने की अनुमति की याचना की गयी है।

3. विपक्षी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आत्ति 43 ग इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थना पत्र गलत बयानी पर आधारित है जो सव्यय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र बदनियती से वाद को विलम्बित करने के दूषित मनोउद्वेश्य से दिया गया है। प्रार्थना पत्र में निगरानीकर्ता अपनी स्वीकारोक्ति से पीछे हट रहा है निगरानीकर्ता रिवीजन पहले से ही इनफैक्चुअस हो चुका है इसी आधार पर खण्डनीय है। प्रार्थना पत्र काननूनन एवं वाक्यातन हर प्रकार से खण्डनीय है।

4. अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी संशोधन के माध्यम से तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलेगी तथा उचित निस्तारण के लिए संशोधन आवश्यक है। विपक्षी की आपत्ति औपचारिक प्रकृति की है जिसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। तदनुसार संशोधन प्रार्थना पत्र 42 ग न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 42 ग मु0 200/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी हर्जा अदा करने के पश्चात अपील में वांछित संशोधन अविलम्ब करे। पत्रावली दिनांक 29.11.2025 को वास्ते अग्रिम कार्यवाही पेश हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2025.11.27 16:11:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court